प्रेषक,

अरूण कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2– अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक 04 अप्रैल, 2024

विषयः **लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2024 हेतु स्वीप योजना के अन्तर्गत मतदाताओं को मतदान हेतु जागरूक किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या–500/सी0ई0ओ0–6–07/6–2024, दिनांक 27.03.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2024 हेतु स्वीप योजना के अन्तर्गत समस्त विकास प्राधिकरण में संचालित RWA के माध्यम से मतदाताओं को मतदान हेतु जागरूक किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त पत्र दिनांक 27.03.2024 द्वारा की गयी अपेक्षा के क्रम में विकास प्राधिकरणों में संचालित RWA के माध्यम से मतदाताओं को मतदान हेतु जागरूक करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

Digitally Signed by अरूण कुमार
Date: 04-04-2024 11:15:09
Reason: Approved

(अरूण कुमार)
अनु सचिव।

"हर वोट है जरूरी, मतदाता के रूप में आज ही पंजीकरण करवायें"

ई–मेल / स्पीडपोस्ट

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चतुर्थतल, विकासभवन, हजरतगंज, जनपथ, लखनऊ–226001

संख्या–502/सी0ई0ओ0–6–07/6–2024 लखनऊ : दिनांक 27 मार्च, 2024

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश, शासन।

विषयः **लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2024 हेतु स्वीप योजना के अन्तर्गत मतदाता जागरूकता किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अवगत कराना है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 16.03.2024 को सात चरणों में होने वाले लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2024 की घोषणा की जा चुकी है। आयोग द्वारा इस निर्वाचन में उत्तर प्रदेश का मतदान प्रतिशत 70 प्रतिशत की आकांक्षा रखी है।

2– उक्त आकांक्षी मतदान प्रतिशत प्राप्त किये जाने हेतु सुनियोजित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों एवं माध्यमों से मतदाता जागरूकता संबंधी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कम में प्रदेश में आवास विकास / विकास प्राधिकरण के विकसित कालोनियों / बहुमंजली अपार्टमेन्ट में संचालित RWA के माध्यम से मतदाताओं को मतदान हेतु जागरूक किया जाना भी आवश्यक है।

3– मतदाता जागरूकता के संबंध में दिनांक 14.03.2024 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस पर चर्चा भी की गयी। चर्चा के कम में एक व्हाट्सएप ग्रूप बनाया गया है, जिसमें उ0प्र0 आवास विकास परिषद के प्रतिनिधि भी इस ग्रुप के सदस्य हैं। ग्रुप में मतदाता जागरूकता सामग्री को शेयर किया गया है, जिसे समस्त संबंधित विभागों द्वारा उपयोग कर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम संबंधित गतिविधियां संचालित कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। इसी कम में आपके अधीन आवास विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों में संचालित RWA के माध्यम से उनमें निवास कर रहे समस्त मतदाताओं को मतदान हेतु जागरूक किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि RWA के माध्यम से मतदाताओं को मतदान हेतु जागरूक किये जाने के लिए आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0 को अपने स्तर से संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः मतदाता जागरूकता सामग्री की साफ्ट कापी।

भवदीया,

(निधि श्रीवास्तव)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उ0प्र0 शासन।

संख्या–502(1)/सीईओ–6 तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–निजी सचिव मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0
2–समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3–आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4–समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिककरण, उ0प्र0।
5–समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जनपद स्तर पर नामित स्वीप नोडल अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें कि जनपद में स्थापित RWA से सम्पर्क कर मतदाता जागरूकता कार्यकमों का आयोजन कराना सुनिश्चित करें।
6–समस्त उप / सहा0 जिला निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0।

(आलोक कुमार)
विशेष कार्याधिकारी

विशेष सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।